क्रम-संख्या–207(ख–3)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 4 दिसम्बर, 2024

अग्रहायण 13, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

दुग्ध विकास अनुभाग–2

संख्या 1033 / 53-2–2024

लखनऊ, 4 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

प०आ०–364

चूंकि सेवायें या प्रसुविधाएं या सहायिकी परिदान करने हेतु पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी परिदान प्रक्रियाएं सुगम हो जाती हैं, पारदर्शिता और दक्षता आ जाती है और लाभार्थी अपनी पहचान साबित करने के लिए बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता से मुक्त होकर सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सीधे अपना हक प्राप्त करने योग्य हो जाते हैं;

और, चूंकि दुग्ध विकास विभाग (जिसे आगे 'विभाग' कहा गया है) (एक) मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ–संवर्धन योजना (दो) मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना (तीन) मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना (जिन्हें आगे योजना कहा गया है) प्रशासित कर रहा है, जो नन्द बाबा दुग्ध मिशन सोसाइटी (जिसे आगे क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है;

और, चूंकि मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ–संवर्धन योजना के अधीन निर्धारित स्वदेशी नस्ल की दो गाय की खरीद पर कुल लागत का 40 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 80000 अनुदान), मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के अधीन स्वदेशी नस्ल के पशुपालक को रूपये 10000–15000 तक की प्रोत्साहन राशि तथा मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अधीन दस स्वदेशी नस्ल की गायों की एक डेयरी की स्थापना की कुल लागत का पचास प्रतिशत (अधिकतम रुपये 1180000 अनुदान) (जिन्हें आगे ''प्रसुविधा'' कहा गया है) दुग्ध कृषकों को (जिन्हें आगे ''लाभार्थी'' कहा गया है) योजनाओं के दिशा–निर्देश के अनुसार क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण द्वारा प्रदान किया जाता है;

और, चूंकि, पूर्वोक्त योजनाओं में उत्तर प्रदेश की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्ग्रस्त है;

अतएव, अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2016) (जिसे आगे ''उक्त अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार एतद्द्वारा निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थातः–

1–(1) उक्त योजना के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति से एतद्द्वारा आधार संख्या धारित करने का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार अधिप्रमाणन कराने की अपेक्षा की जायेगी।

(2) उक्त योजनाओं के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने का इच्छुक कोई व्यक्ति, जो आधार संख्या धारित न करता हो या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन न किया हो, से उक्त योजना को रजिस्ट्रीकृत करने के पूर्व आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा की जायेगी, परन्तु यह कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे व्यक्ति को आधार हेतु नामांकित किये जाने के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकारण (यू आई डी ए आई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) पर जाना होगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) अधिनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग से अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से ऐसे लाभार्थियों, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित न हों, के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जायेगी, और यदि सम्बन्धित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित न हो तो विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू आई डी ए आई) का रजिस्ट्रार होकर सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधायें प्रदान करेगाः

परन्तु यह कि किसी व्यक्ति को आधार समनुदेशित किये जाने के समय तक उक्त योजना के अधीन प्रसुविधायें, ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के अध्यधीन प्रदान की जायेगी, अर्थातः–

(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, अर्थातः–

(एक) फोटोयुक्त बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या

(दो) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(तीन) पासपोर्ट; या

(चार) राशन कार्ड; या

(पाँच) मतदाता पहचान पत्र; या

(छः) मनरेगा कार्ड; या

(सात) किसान फोटो पासबुक; या

(आठ) मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या

(नौ) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा अपने शासकीय/पत्र शीर्षक पर जारी किये गये ऐसे व्यक्ति की फोटोयुक्त पहचान प्रमाण–पत्र; या

(दस) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग उक्त प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जा सकती है।

2–योजना के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से प्रसुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग को अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिये समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करनी होंगी कि मीडिया के माध्यम से लाभार्थियों के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार उन्हें उक्त आवश्यकताओं से अवगत कराने के लिए किया जायेगा।

3–समस्त मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन विफल हो जाता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाये जायेंगे, अर्थातः–

(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या फेस अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जाएगी, जिससे विभाग अपने क्रियान्ययनकर्ता अभिकरण के माध्यम से निर्बाध रीति से प्रसुविधा प्रदान करने के लिए फिंगरप्रिंट अधिप्रमाणन के साथ ही साथ आईरिस स्कैनर या फेस अधिप्रमाणन के लिए उपबन्ध करेगा;

(ख) यदि फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन या फेस अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होता है, तो जहाँ कहीं संभाव्य और अनुज्ञेय हो, सीमित समय की वैधता के साथ यथास्थिति आधार वन टाइम पासवर्ड या समय–आधारित वन–टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन/प्रस्तावित किया जा सकता है;

(ग) अन्य समस्त मामलों में जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय–आधारित वन–टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव न हो, वहां उक्त योजना के अधीन प्रसुविधाएं, ऐसे भौतिक आधार पत्र के आधार पर दी जा सकती हैं, जिसकी अधिप्रमाणिकता, आधार पत्र पर मुद्रित क्विक रिस्पांस कोड (क्यू० आर० कोड) के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और क्विक रिस्पांस कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था, विभाग द्वारा अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर प्रदान की जायेगी।

4–उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि उक्त योजना के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी अपनी देय प्रसुविधाओं से वंचित न हो, विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के डी0बी0टी0 मिशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या डी–26011/04/2017–डीबीटी, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 में यथा रेखांकित अपवाद हैंडलिंग तंत्र का अनुसरण करेगा।

5–यह अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगी।

आज्ञा से,
के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव।

———

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1033/53-2–2024 dated December 4, 2024.

No. 1033/53-2–2024

Dated Lucknow December 4, 2024

WHEREAS the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

AND, WHEREAS the Department of Dairy Development (hereinafter referred to as the "Department"), is administering (i) Mukhyamantri Svadeshi Gau-Samvardhan Yojana, (ii) Mukhyamantri Pragatisheel Pashupalak Protsahan Yojana, (iii) Mini Nandini Krishak Samridhi Yojana (hereinafter referred to as the Scheme) which is being implemented through the 'Nand Baba Dugdh Mission Society' (hereinafter referred to as the Implementing Agency);

AND, WHEREAS under the Mukhyamantri Svadeshi Gau-Samvardhan Yojana, 40 percent of total cost of buying a unit of two cows of selected Indian breed (Maximum grant Rs. 80000.00), under the Mukhyamantri Pragatisheel Pashupalak Protsahan Yojana, incentive amount of Rs. 10000-15000 and under the Mini Nandini Krishak Samridhi Yojana, 50 percent of total cost of stablishing of a dairy of 10 cows of selected Indian breed (Maximum grant Rs. 1180000.00) (hereinafter referred to as the benefit) is given to the Dairy Farmer (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the extant of Scheme guidelines;

AND, WHEREAS the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Uttar Pradesh;

NOW, THEREFORE, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Act no.18 of 2016) (hereinafter referred to as the "said Act"), the Government of Uttar Pradesh hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) any one of the following documents, namely :-

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card, or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) MGNREGA card; or

(vii) Kisan Photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media is given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication. Thereby, the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered,

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time- based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code (QR code) reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In addition to the above, in order to ensure that no *bona fide* beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum no. D-26011/04/2017-DBT of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India, dated 19th December, 2017.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official *Gazette*.

By order,
K. RAVINDRA NAIK,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 558 राजपत्र–2025–(1520)–599+50=649 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।